राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

सत्यमेव जयते

चैत्र 6, रविवार, शाके 1933–मार्च 27, 2011
Chaitra 6, Sunday, Saka 1933–March 27, 2011

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 27, 2011

संख्या प. 2 (15) विधि/2/2011.–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता हैः–

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 4)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्राप्त हुई]

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह 25 नवम्बर, 2010 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1974 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 2 **का संशोधन.-**राजस्थान विश्वविद्‌यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है**,** की धारा **2** की उप-धारा (1) में खण्ड (**vii**) के पश्चात्‌ और खण्ड (**viii**) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा:-

"(vii-क) "विशेष पिछड़ा वर्ग" से राज्य सरकार द्‌वारा राजपत्र में अधिसूचना द्‌वारा इस रूप में घोषित वर्ग अभिप्रेत हैं;"।

3. 1974 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 में नयी धारा 10-ख का अन्तःस्थापन.-मूल अधिनियम की धारा 10-क के पश्चात्‌, निम्नलिखित नयी धारा 10-ख अंतःस्थापित की जायेगी:-

"**10-ख. विशेष पिछडे वर्गों के लिए पदों का आरक्षण.-** सुसंगत विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राजस्थान विश्वविद्‌यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 4) के प्रारंभ होने की तारीख से, संबंधित विश्वविद्‌यालय में, इस अधिनियम के अधीन किये गये प्रत्येक चयन के अनुसरण में विश्वविद्‌यालय में नियुक्त किये जाने वाले अध्यापकों तथा अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए एक प्रतिशत पद विशेष पिछडे वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगे।"।

4. निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) राजस्थान विश्वविद्‌यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश सं. 02) इसके द्‌वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्‌वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये समस्त आदेश इस अधिनियम द्‌वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

सत्य देव टाक,

प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, March 27, 2011

No. F. 2 (15) Vidhi/2/2011.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Vishwavidhyalayon Ke Adhyapak Tatha Adhikari (Niyukti ke Liye chayan) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011 (2011 Ka Adhiniyam Sankhyank 4) :-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN UNIVERSITIES' TEACHERS AND OFFICERS (SELECTION FOR APPOINTMENT) (AMENDMENT) ACT, 2011

(Act No. 4 of 2011)

[Received the assent of the Governor on the 25th day of March, 2011]

An

Act

further to amend the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:–

1. Short title and commencement.– (1) This Act may be called the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 25th November, 2010.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 18 of 1974.–In sub-section (1) of section 2 of the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974 (Act No. 18 of 1974), hereinafter referred to as the principal Act, after clause (vii) and before clause (viii), the following new clause shall be inserted:–

"(vii-a) "Special Backward Classes" means the classes declared as such by the State Government, by notification in the Official Gazette;".

3. Insertion of new section 10-B, Rajasthan Act No. 18 of 1974.–After section 10-A of the principal Act, the following new section 10-B shall be inserted:–

"**10-B. Reservation of posts for Special Backward Classes.**–Notwithstanding anything contained in the relevant law, as from the date of commencement of the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) (Amendment) Act, 2011 (Act No. 4 of 2011) there shall be reserved in the University concerned, one percent posts for Special Backward Classes for appointment to the posts of teachers and officers to be appointed in the University in pursuance of every selection made under this Act.".

4. Repeal and savings.–(1) The Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) (Amendment) Ordinance, 2010 (Ordinance No. 02 of 2010) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the aforesaid Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

सत्य देव टाक,

Principal Secretary to the Government.

4

Government Central Press, Jaipur.